रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED No. DL—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9, 1999 (आश्विन 17, 1921)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1999 (ASVINA 17, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं, जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

विदेश व्यापार केन्द्र, सेक्टर 1

कफ परेड, कोलाबा

मुम्बई-400005, दिनांक 25 सितम्बर 1999

बैंपविवि सं. आईबीएस 817/23-13-022/99-2000 —भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित का नाम निकाल दिया जाए।

"दि ब्रिटिश बैंक आफ दि मिडिल ईस्ट"

जी. पी. मुनियप्पन
कार्यपालक निदेशक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

कार्मिक प्रशासन विभाग

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालइ

चैन्नई-600002, दिनांक 09, सितम्बर 1999

सं० का० प्र० वि० पर्यं० 177—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम इण्डियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1999 कहलायेंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इण्डियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में,

(क) विनियम 12 में, उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात्—

(4) किसी भी अधिकारी को,

(क) जिसने उप विनियम (1) में सन्दर्भित विकल्प का प्रयोग किया है; और

(ख) जिसने पहली फरवरी, 1984 के पश्चात् भी नियत तारीख के तत्काल पूर्व अपने लिए प्रयोज्य वेतन और भत्ते प्राप्त करना जारी रखा था; और

(ग) जो पहली अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् बैंक की नियमित सेवा में है, उसे

पहली अप्रैल, 1997 को या उसके बाद से, इन विनियमों के अधीन लागू वेतन एवं भत्तों के लिये विकल्प देने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर उसके वेतन का नियतन इस रीति से किया जायेगा कि 01-04-1997 को उस पर देय महंगाई भत्ता उप-विनियम (2) के अनुसार उसके द्वारा 31-3-1997 तक आहरित उसके मौजूदा वेतन (अर्थात् वेतन तथा महंगाई भत्ता) के निकटतम हो।

(ख) विनियम 23 में,

(i) उप-विनियम (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

'परन्तु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर, अंक और शब्द "रु० 40 प्र० मा० या रु० 25" प्र० मा० के लिये क्रमशः अक्षर, अंक और शब्द "रु० 125 प्रति माह या रु० 100 प्रति माह क्रमशः" प्रतिस्थापित कर दिये गये थे ;

(ii) उप विनियम (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

'परन्तु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक "रु० 150 प्र० मा", के लिये अक्षर, अंक और शब्द रु० 300 प्रतिमाह प्रतिस्थापित कर दिये गये थे।

(iii) उप-विनियम (v) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

'परन्तु पहली अप्रैल 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे, मानो —

(क) अक्षर और अंक 'रु० 700' के लिये, अक्षर और अंक 'रु० 1,000' प्रतिस्थापित कर दिये गये थे,

(ख) पहले तथा दूसरे परन्तुक मे दोनों स्थानों पर आने वाले अक्षर और अंक 'रु० 350' क्रमशः अक्षर और अंक 'रु० 500' से प्रतिस्थापित कर दिये गये थे;

(iv) उप विनियम (vii) पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात :—

'परन्तु वित्तीय वर्ष 1997–98 को और उसके बाद से, उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक 'रु० 150' के लिये अक्षर और अंक 'रु० 250' प्रतिस्थापित कर दिये गये थे;

(v) उप-विनियम (viii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

'परन्तु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक "रु० 35 प्र० मा०" के लिये क्रमशः अक्षर, अंक और शब्द 'रु० 70' प्र० मा० प्रतिस्थापित कर दिये गये थे;

(ग) विनियम 32 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

'परन्तु वर्ष 1997 में या किसी अनुवर्त वर्ष में न ली गई आकस्मिक छुट्टी आगामी तीन वर्षों में बीमारी छुट्टी के साथ बाद में या पहले जोड़ी जा सकती है;

(घ) विनियम 42 में, —

(i) उप-विनियम 2 (i) में, शब्द और अंक '01-07-1993 को और उसके बाद से' के लिये, शब्द और अंक 01-07-1993 को और उसके बाद से परन्तु 01-04-1997 से पूर्व' प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) उप-विनियम 2(i) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् —

'2(i) (क) पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, स्थानान्तरित किसी अधिकारी को माल-गाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिये निम्न-लिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी

वेतन-सीमा	परिवार-सहित	परिवार-रहित
रु० 4250/-प्रतिमाह से रु० 6210/-- प्रतिमाह	3000 किलोग्राम	1500 किलोग्राम
रु० 6211/-- प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2000 किलोग्राम

(iii) उप-विनियम (3) में, शब्द और अंक '01-01-1987 को और उसके बाद से, के लिये शब्द और अंक '01-01-1987 को और उसके बाद से परन्तु 01-04-1997 से पूर्व' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्विष्ट किया जायेगा:—

3(क) "पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, स्थानान्तरित कोई अधिकारी सामान की पैकिंग, स्थानीय परिवहन और उसके बीमे आदि के लिये निम्नानुसार एकमुश्त राशि पाने का पात्र होगा/होगी —

श्रेणी	एक मुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबन्धन	रु० 5000/-
मध्य एवं कनिष्ठ प्रबन्धन	रु० 4000/-

पाद टिप्पणी: उपर्युक्त विनियमों में इससे पूर्व किये गये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे, द्रष्टव्य यहां नीचे दी गई अधिसूचनाएं एवं उनकी तारीखें :

क्रमांक	अधिसूचना सं०	तारीख
1.	31/पर्य०/97	12-01-88
2.	31/पर्य०/861	07-05-88
3.	31/पर्य०/2139	29-09-88
4.	काप्रवि/177/3/88	09-12-89
5.	काप्रवि/177/1/89	09-12-89
6.	काप्रवि/177	05-03-94
7.	काप्रवि/177	21-07-95
8.	काप्रवि/177	17-08-96
9.	काप्रवि/177	19-11-96
10.	काप्रवि/177	12-05-99

बी० स्वामिनाथन
महाप्रबन्धक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1999

सं. यू-16/53/98-चि. 2 (हैदराबाद)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा हैदराबाद कोन्दु व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण-पूर्व जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. एम. श्याम सुन्दर राव की सेवाएं 17-1-99 से 16-1-2000 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, लगाती हूं ।

डा. (श्रीमती) एम. सिंह, चिकित्सा आयुक्त

सं० एन-15/13/12/1/95-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अक्तूबर, 1999 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे, अर्थात् :—

"तहसील बस्सी राजस्व ग्राम कनौता, दयारामपुरा, मानगढ़ खोखावाला, विजय मुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला कुंथाड़ा कला और कुंथाड़ा खुर्द, तहसील जमवा रामगढ़ का नायला, तहसील सांगानेर का लखेसरा, और जयपुर जिला और तहसील में विजयपुरा और बगराना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

जी० एल० कपूर
निदेशक (यो० एवं वि०)

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सैक्टर 19—ए

चण्डीगढ़, दिनांक 16 सितम्बर, 1999

सं० 19. बी. 34/13/1/95-प्रशा० :—कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 के विनियम 10-क के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष,

क्षेत्र बोर्ड जम्मू एवं कश्मीर ने कठुआ क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अध्याय 4 व 5 पहले से लागू हैं) की स्थानीय समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम 10—क(1)(क) के अधीन

1. श्रमायुक्त जम्मू एवं कश्मीर, उप श्रमायुक्त जम्मू एवं कश्मीर।

सदस्य

विनियम 10—क(1)(ख) के अधीन

2. (1) उप सचिव जम्मू एवं कश्मीर विभाग।
विनियम 10—क1(ग) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा ई० एस० आई० औषधालय कठुआ।

विनियम 10—क(1)(घ) के अधीन

4. श्री डी० आर० भाटिया, भारत स्माल आर्मज कठुआ।

5. श्री के० सी० शर्मा, वरिष्ठ अधयक्ष, मैसर्ज चिनाब टैक्सटाइल जम्मू।

विनियम 10 क(1)(ङ) के अधीन

6. श्री अशरफ अहमद, चिनाब टैक्सटाइल मिल्स कठुआ।

7. श्री उत्तम चन्द, चिनाब टैक्सटाइल मिल्स कठुआ।

8. श्री बाबू सिंह, एच० पी० गैस एजेन्सी, कठुआ।

विनियम 10 क (1)(घ) के अधीन

9. प्रबन्धक, सदस्य सचिव
स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पठानकोट।

आज्ञा से,
बी० सी० भारद्वाज,
क्षेत्रीय निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

सं० 19 बी 34/13/1/95-प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10 क के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष क्षेत्रीय बोर्ड जम्मू एवं कश्मीर ने जम्मू क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अध्याय 4 व 5 पहले से लागू हैं), की स्थानीय समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम 10 क (1)(क) के अधीन

1. श्रम आयुक्त जम्मू एवं कश्मीर/उप श्रमायुक्त जम्मू एवं कश्मीर (ई० एस० आई०)।

सदस्य

विनियम 10 क(1)(ख) के अधीन

2. (1) उप सचिव जम्मू एवं कश्मीर (श्रम विभाग),

विनियम 10 (क)(1)(ग) के अधीन

3. (i) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बख्शी नगर जम्मू।

(ii) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ई० एस० आई० डिस्पैंसरी डिगियाना जम्मू।

(iii) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बाडी ब्राह्मणा, जम्मू।

विनियम 10 (क) (1) (घ) के अधीन

4. श्री शान्ति कुमार अहान, प्रबन्धक मैसर्ज आर० बी० जोधामल एण्ड कम्पनी, केनाल रोड, जम्मू-180001।

5. श्री भुवन कुमार गुप्ता, प्रबन्धक, के० सी० प्लाईवुड, इण्डस्ट्रीज अखनुर रोड, मुठी, जम्मू।

6. श्री कुलदीप डोगरा अध्यक्ष स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज 19 इस्टेट डिगियाना, जम्मू।

7. श्री सुरिन्द्र पाल सिंह, निदेशक बाडी ब्राह्मणा इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन नैयर इलैक्ट्रोडज लिमिटेड बाडी ब्राह्मण, जम्मू 181133।

विनियम 10-(1)(ङ०) के अधीन

8. श्री कर्ण सिंह, सचिव भीमवाड़ा वर्कस यूनियन बाडी ब्राह्मण, जम्मू।

9. श्री मसूद अहमद अन्दराबी, अध्यक्ष स्टेट सैन्ट्रल लेबर यूनियन।

10. श्री रविन्द्र सिंह अध्यक्ष, इन्टक।

11. श्री मुहम्मद युसुफ भट्ट एटक।

विनियम 10 क (1) (च) के अधीन

12. प्रबन्धक, सदस्य सचिव
स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
जम्मू।

आज्ञा से,
बी० सी० भारद्वाज,
क्षेत्रीय निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक   1999

संशोधन

सं. ए-12/11/1/94-चि. वि. (मु.)—दिनांक 7-8-99 के अनुसार भारत के राजपत्र सं 32 के भाग-3 खण्ड-4 दिनांक 7 अगस्त, 1999 में प्रकाशित पदोन्नति उप-शीर्ष के अधीन दिए कालम 13 में अंकित "ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ आपरेशन तकनीशियन" शब्दों के स्थान पर "ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ आपरेशन थियेटर तकनीशियन/वरिष्ठ सी. एस. एस. डी./सी. एस. आर. तकनीशियन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

अ. म. निम्बालकर

महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय),

नई दिल्ली-110066, दिनांक 14 सितम्बर 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/4271—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(ख) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, पी० ओ० हिन्दमोटर्स जिला, हुगली (प० बं०)।	डब्ल्यू०बी०/370	2/1959/डी०एल०आई०/एक्जम 89 दिनांक 8-7-97	16-12-98	17-12-98 से 16-12-2001	2/[illegible]/93/डी०एल० [illegible]
2.	मै० बिजोली सिनेमा 35, एस० पी० मुखर्जी मार्ग, 700 025	डब्ल्यू०बी०/3673		31-10-97	1-11-97 से 31-10-2000	2/2335/89

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-66, दिनांक 15 सितम्बर 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जम/89/भाग-4/4279—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्र.सं.	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के.भ.नि.आ. की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० गुजरात स्टेट फर्टीलाईजर्स एण्ड केमिकल्स लि० फाइबर यूनिट पो. बा. नं. 18 कोसम्बा–394120 जिला सूरत (गुजरात)	जी०जे०/5238–बी०	2/1959/डी०/एल०आई०/एक्जम/89पी.टी०–1/36013 दिनांक 21–1–99	31–5–99	1–6–99 से 31–5–2002	2/5326/93/डी० एल.आई.

1	2	3	4	5	6	7
2.	मै० श्री राजकोट लोधिका सहकारी खरीद वेचन संघ लि० सहकार त्रिवेनी, 29/38, करनपारा बस स्टैंड के पीछे, राजकोट—360001 (इंडिया)	जी०जे०/ 5673	9-4-98	30-9-97	1-10-97 से 30-9-2000	2/4506/92
3.	मै० कस्टोमेट प्रा० लि० मितेश मवडी प्लाट, राजकोट—360004	जी०जे०/ 7589	22-11-97	30-5-98	1-6-98 से 30-5-2001	2/3783/91
4.	मै० शुटज कार्बन इलैक्ट्रोडस प्रा० लि०, 43/1, जी० आई० डी० सी० एस्टेट, कलोल—382721 ।	जी०जे०/ 11351	13-5-91	31-1-92	1-2-92 से 31-1-95 1-2-95 से 31-1-98 1-2-98 से 31-1-2001	2/3434/91
5.	मै० डायमंड कुमिसन मा० लि० सी० जी० आई० डी० सी० एस्टेट, महसाना (गुजरात)	जी०जे०/ 14744-ए	26-10-97	31-5-98	1-6-98 से 31-5-2001	2/3325/90

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं [illegible] कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले निम्नी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि [illegible] भारतीय जीवन बीमा निगम [illegible] असफल रहता है और पालिसी [illegible] जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा [illegible] के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में [illegible] सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 16 सितम्बर 1999

सं. 2/1959/पी. एफ. आई./भाग-1/एक्जम/89/4290—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात [illegible]) कर्मचारी भविष्य निधि और [illegible] (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का यह समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम नहीं अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन को छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची—1

क्र.सं.	स्थापना का नाम और पता	कोड नं.	छूट की प्रभावी तिथि	के. भ. नि. आ. फा. नं.
1	2	3	4	5
1.	मै. वेलन्डर एन्टरप्राइस, डेबर भाई रोड (साऊथ) राजकोट-360002	जी.जे./11353	1-7-97 से 30-6-2000	4/146/99/डी.एल.आई.
2.	मै. एक्सप्रोटेक्टा, 305/306, जी. आई. डी. सी. विटठल उद्योग नगर, वी. वी. नगर-388121	जी.जे./12333	1-3-96 से 28-2-99	4/151/99
3.	मै. जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, मिलन चैम्बर [illegible] कालोनी, जामनगर (शाखों सहित)	जी.जे./11941	1-9-97 से 31-8-2000	4/147/99
4.	मै. [illegible] प्रा. लि., 290, चित्रा भावनगर-364004	जी.जे./14544	1-8-97 से 31-7-2000	4/148/99
5.	मै. [illegible] एण्ड [illegible] लि., 220/जी.आई.डी.सी. एस्टेट, महेसाना-384002 (एन. जी.)	जी.जे./16676बी	1-2-98 से 31-1-2001	4/149/99
6.	मै. [illegible] टैक्स टाइम, 2002/3, जी. आई. डी. सी., अंकलेश्वर-393002।	जी.जे./18625	1-4-99 से 31-3-2002	4/150/99

1	2	3	4	5
7.	मं० एक्स—कन्डका 420, फेज—4 जी० आई० सी० विट्ठल उद्योग नगर, वी० वी० नगर—388121 जिला कैरा गुजरात	जी०जे०/16719	1—3—96 से 28—2—99	4/152/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो, जो वह तब उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-1/4303—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने, प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आ. प्र. ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० नं०
1.	मै० प्रकाश इन्डस्ट्रीज, इन्कापाडु पो० आ० वाया रामावाड, आपाडु—521108।	ए०पी०/16512	1—8—97 से 31—7—2000	1/97/99 डीएलआई
2.	मै० विजयना विहारा इंगलिश मिडियम स्कूल, सत्यानारायणपूर्म, विजयवाड़ा।	ए०पी०/16554	1—3—97 से 29—2—2000	1/101/99
3.	मै० नैटको फार्मा लि०, नैटको हाऊस, मार्ग नं० 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद—500033।	ए०पी०/16328	1—12—87 से 30—11—90 1—12—90 से 30—11—93 1—12—93 से 30—11—96 1—12—96 से 30—11—99	1/100/99
4.	मै० बालाजी हैचरिज, 4—2028, बु रा नगर, ग्रामपेट, चिद्दूर, आ० प्र०—517002।	ए०पी०/11617	1—10—95 से 30—9—98 1—10—98 से 30—9—2001	1/99/99
5.	मै० सदनी चोदराई रेजीडेन्टल पब्लिक स्कूल, चिनकाकुरीपेट, गगहूर, आ० प्र०।	ए०पी०/16609	1—3—95 से 28—2—98 1—3—98 से 28—2—2001	1/98/99

अनुसूची—2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. बी. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-1/4314—यतः अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० केन बैंक इंस्वस्टमेंट भजमेट सर्विस लि०, जओरयंट हाऊस, एडी मरजेबन रोड, मुम्बई–38 ।	एम०एच० 40208	1–3–98 से 28–2–2001	9/58/99 डीएलआई
2.	मै० रिलांस पेट्रोलियम लि०, आर०पी०एल० हाऊस, तीसरी मंजिल, बलचन्द मार्ग, मुम्बई–400001 ।	एम०एच० 41261	1–8–96 से 31–7–99	9/45/98
3.	मै० ए०सी०सी० पनिकोन कसटिंग लि०, ए–1/2, बूटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया, बिल राईकारी एम०आई०डी०सी०, बुटीबोरी, जिला नागपुर–441108 ।	एम०एच० 61875	1–7–97 से 30–6–2000	9/57/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी राशि से कम हो जाए तो उक्त स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. प्रेम
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 17 सितम्बर 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/4323—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिसकी तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० प्रसिजन सील मैनुफेक्चरिंग लि०, ब्लाक एस, प्लोट नं० 156, नजदीक सैंचूरी इनका लि०, एम०आई०डी०सी०, लौसारी, पुणे–411026।	एम०एच०/22103ए	1–12–97 से 30–11–2000	9/60/99 डीएलआई
2.	मै० इन्टरवालेव (इंडिया) लि०, 212/2, हाडाप्सार, पुणे–411028।	एम०एच०/30940	1–8–98 से 31–7–2001	9/61/99
3.	मै० ई०एल०ओ० मेटिक इंडिया प्रा० लि०, 296 ए 1/5, सैट पट्रिक टाउन हाडाप्सार, पुणे–411013।	एम०एच०/30943	1–8–98 से 31–7–2001	9/62/99
4.	मै० मर्सडैड बेन्ज इंडिया लि०, सैक्टर–15ए, चिखोली गोव, पिम्परी, पुणे–411028।	एम०एच०/32162	1–4–99 से 31–3–2002	9/63/99
5.	मै० जलदूत मेटेरियल हैण्डलिंग प्रा० लि०, जे–83, एम०आई०डी०सी० भोसारी, पुणे–411026।	एम०एच०/31096	1–8–97 से 31–7–2000	9/64/99
6.	मै० विदर्भा आइरन एंड स्टील कार्पोरेशन लि०, 46, ए एंड बी एम०आई०डी०सी० ऐरिया, हिंगा मार्ग, नागपुर–440028।	एम०एच०/16564	1–7–95 से 30–6–98 1–7–98 से 30–6–2001	9/65/99
7.	मै० अशुतोष कास्टिंग लि०, एफ 8, एम०आई०डी०सी०, इन्डस्ट्रियल एरिया, हिंगा मार्ग, नागपुर–440016।	एम०एच०/24523	1–7–98 से 30–6–2001	9/66/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/4336—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० विदया मंदिर (एग्मियार) सैकन्डरी स्कूल, चौथा मेन मार्ग, गांधी नगर, चेन्नई–600020 ।	टी०एन०/23214	1–3–91 से 28–2–94 1–3–94 से 28–2–97	14/123/95 डीएलआई
2.	मै० व्हाइट हाऊस प्रोसैस प्रा० लि०, नं० 1096, ई०वी०आर० परियार मार्ग, परियामेट, चेन्नई–600003 ।	टी०एन०/30890	1–11–98 से 31–10–2001	14/640/99

1	2	3	4	5
3.	मै० टैन में कम्प्यूटर एंड साफ्टवेयर प्रा० लि०, 942, पुनमाल्ली हाई मार्ग, चैन्नई–84।	टी०एन०/31079	1–6–94 से 31–5–97 1–6–97 31–5–2000	14/610/99
4.	मै० फाइन पोइन्ट इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 31/2ए, पार्ट काभी पालूर विलेज, पाथुर (पी०ओ०) कान्चीपुरम जिला–603103।	टी०एन०/31487	1–7–98 से 30–6–2001	16/641/99
5.	मै० सोफ्ट स्पीनिंग (मद्रास) प्रा० लि०, कमरा नं० 4, तथा 5, एस० एम० प्लाजा, नं० 45, अरमनियन स्ट्रीट, चैन्नई–600001।	टी०एन०/31897	1–7–98 से 30–6–2001	16/642/99
6.	मै० वाक्केदर एण्ड बाबाग टैक्नालाजीस लि०, नं० 6, मुरेर गेट मार्ग, अलवरपेट, चैन्नई–600018।	टी०एन०/31934	1–8–97 31–7–2000	16/643/99
7.	मै० चरामपेट सम्वथा निधि लि०, रामाकृष्णा स्ट्रीट, राघव नगर, चरामपेट, चैन्नई–600044।	टी०एन०/31993	1–8–98 से 31–7–2001	16/644/99
8.	मै० वाइट हाउस काटन इन्डस्ट्रीज लि०, एस नं० 1, कोलत्तक्कम विलेज, वेदानथान्काल चेनगाई एम2जी०आर० जिला।	टी०एन०/39151	1–1–99 से 31–12–2001	166/45/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग4/434.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को शर्तों उस अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उसके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ. नि० ला० की फाईल सं०
1.	मै० सैन्च्युरी रायोन पी० बी० नं० 22, सहीद थाम—421103	एम एच 1616	एस—35014/14/87 एस० एस दिनांक—29—1—87	28—1—89	29—1—89 से 28—1—92 29—1—92 से 28—1—95 29—1—95 से 28—1—98 28—1—2001	2/36/76/ डी. एल. आई.
2.	मै० केयर कार्पोरेशन इंडिया लक्ष्मी बिल्डिंग, 6, सौरजी वल्लभदास मार्ग बलार्ड स्टेट, मुम्बई—400001.	एमएच/5507	2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी—1 दिनांक	29—2—96	1—3—96 से 28—2—99 1—3—99 से 28—2—2002	2/813/83
3.	मै० हाकिन्स कूकर लि०, मेकर टावर, एफ-101 कफी पराडे, मुम्बई—400005.	एमएच/6333	11—6—99	28—2—99	1.3—99 से 28—2—2002	2/899/83
4.	मै० [illegible] लि०, बक्तावर, दूसरी मंजिल, [illegible] पोइन्ट, मुम्बई—400021	एम०एच/19795	11—7—91	23—12—92	24—12—92 से 23.12—95 24—12—95 से 23—12—98 24—12—98 से 23—12—2001	2/764/82

अनुसूची 2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 6 अगस्त 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-4/एक्जम/89/4359—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प. बंगाल ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है :—

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० हिन्दुस्तान कैस एंड इन्डस्ट्रीज लि०, 22, न्यू टाँगरी मार्ग, कलकत्ता–700046।	डब्ल्यू०बी०/1914 1627 11359	1–3–92 से 28–2–95 1–3–95 से 28–2–98 1–3–98 से 28–2–2001	16/77/99 डीएलआई
2.	मै० आई०बी०पी० कं० लि०, वी० पी० हाउस, 34–ए, निर्मल चन्द्रा स्ट्रीट, कलकत्ता–700013।	डब्ल्यू०बी०/3574	1–2–99 से 31–1–2002	16/78/99
3.	मै० पं० बंगाल स्टेट माइनर इरिगेशन कार्पोरेशन लि०, 5, मुस्ताक अहमद स्ट्रीट, कलकत्ता–700016।	डब्ल्यू०बी०/14902	1–9–98 से 31–8–2001	16/79/99
4.	मै० कोथलिन कनफैक्शनर्स, 12, फ्री स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता–700016।	डब्ल्यू०बी०/22650	1–11–98 से 31–10–2001	16/80/99
5.	मै० दि प्रिन्सज, 121 फ्री स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता–700016।	डब्ल्यू०बी०/22722	1–11–98 से 31–10–2001	16/81/99
6.	मै० कोथलिन कैटरर्स, 2, यू०के० मार्ग, कलकत्ता–700028।	डब्ल्यू०बी०/24420	1–11–98 से 31–10–2001	16/82/99
7.	मै० फरन्नी एक्सपोर्ट प्रा० लि०, 37, शेक्सपियर सरेन, कलकत्ता–700017।	डब्ल्यू०बी०/27429	1–3–99 से 28–2–2002	16/83/99
8.	मै० कनवे एक्सट्रूसन लि०, 113, पार्क स्ट्रीट, एन, ब्लाक, दूसरी मंजिल, कलकत्ता–700016।	डब्ल्यू०बी०/28271	1–1–97 से 31–12–99	16/84/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का आशय स्थापना के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों और उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि से कम है और कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

14, भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली–110066, दिनांक 20 सितम्बर 1999

सा० का० 4371—चूंकि मै० अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि०, आउट साईट जमालपुर गेट, अहमदाबाद (गुज०/279) को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 172(क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद छूट प्रदान की गई थी ।

और नियोक्ता ने 31–7–94 तक की मास्टर पोलिसी पुनः नवीनीकरण करा लिया है और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु वापिस कर दिया है ।

उपरोक्त को देखते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 1–8–94 से छूट रद्द कर दी है ।

ए० के० जैन,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

शुद्धि-पत्र

अधिनियम सं०	पृष्ठ सं०	कालम सं०	पंक्ति सं०	
1. (3)	2798	11	18	"और" के स्थान पर "अथवा" पढ़ें ।
3.	2799	1	38	पैरा-3 को इस प्रकार पढ़ा जाए— "फार्म तथा प्रक्रिया :—उपर्युक्त पात्रता तथा अर्हक मानदण्डों को पूरा करने की शर्त के अधीन आवेदक मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए फार्म-1 में निम्नलिखित भागों में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—"
अनुसूची	2808	11	4	"केन्द्रीय सरकार में आवेदन प्राप्ति" के स्थान पर "केन्द्र सरकार से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनों की प्राप्ति" पढ़ा जाए ।

डा० (श्रीमति) एम० सचदेवा
सचिव
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

RESERVE BANK OF INDIA
(CENTRAL OFFICE)
(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & DEVELOPMENT)
CENTRE-I, WORLD TRADE CENTRE
Mumbai-400 005, the 25th September 1999

No. DBOD.IBS.517/23.13.022/99-2000.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :

"The British Bank of the Middle East"

G. P. MUNIAPPAN
Executive Director

INDIAN OVERSEAS BANK

PERSONNEL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE, 763, ANNA SALAI
Chennai-600002, the 9th September 1999

No. PAD/SUP/177/ —In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

1. (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1999.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979,

(a) In regulation 12, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

(4) any Officer,-

(a) who had exercised option referred to in sub-regulation (1), and

(b) who continued even after the first day of February, 1984 to draw pay and allowances applicable to him immediately before the appointed date; and

(c) who continues in regular services of the bank on or after the first day of April, 1997,

may be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from the first day of April, 1997. On exercising such option, he will be fitted on the pay in such a manner that the pay as set out in Regulation 4(2) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 1-4-1997

is nearest to his existing salary (i.e. pay plus dearness allowance) being drawn in terms of sub regulation(2) on 31-3-1997.

(b) in regulation 23,

(i) after sub-regulation (iii), the following proviso shall be inserted, namely ;—

'provided that on and from the first day of April, 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 40 p.m. or Rs. 25 p.m." the letters, figures and words "Rs 125 per month or Rs. 100 per month" had been respectively substituted".

(ii) after sub-regulation (iv), the following proviso shall be inserted, namely:—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150 p. m.", the letters, figures and words "Rs. 300 per month" had been substituted :

(iii) in sub-regulation (v), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely;—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if,—

(A) for the letters and figures "Rs. 700", the letters and figures "Rs. 1000" had been substituted:

(B) for the letters and figures "Rs. 350" occurring at both the places in first and second proviso, the letterst and figures "Rs. 500" had been respectively substituted':

(iv) after sub-regulation (vii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the financial year 1997-98, the provisions of the sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150/-" the letters and figures "Rs. 250/-" had been substituted':

(v) after sub-regulation (viii), the following proviso shall be inserted, namely—

"Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 35 p.m.", the letters, words and figures "Rs. 70 per month" had been substituted':

(c) in regulation 32, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely: —

'Provided that Casual Leave not availed of in the year 1997 or in any subsequent year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following three years'.,

(d) in regulation 42,-

(i) in sub-regulation 2(i), for the words and figures "on and from 1-7-1993", the words and figures "on and from 1-7-1993 but before 1-4-1997" shall be substituted:

(ii) after sub-regulation 2(i), the following sub-regulation shall be inserted, namely;—

"2(i)(a) On and from the first day of April, 1997, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits:

Pay Range	Where an Officer has family	Where an Officer has no family
Rs. 4250 per month to Rs. 6210 per month	3000 Kgs.	1500 Kgs.
Rs. 6211 per month and above.	Full Wagon	2500 Kgs."

(iii) in sub-regulation (3) , for the words and figures "on and from 1-1-1987", the words and figures "On and from 1-1-1987 but before 1-4-1997" shall be substituted:

(iv) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted :—

3(a) "On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc ;—

Grade	Lump sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 3000
Middle Management and Junior Management	Rs. 4000"

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of India vide Notifications Nos. with dates as per details given below ;

Sl. No.	Notification No.	Date
1.	31/SUP/97	12-01-88
2.	31/SUP/861	07-05-88
3.	31/SUP/2139	29-09-88
4.	PAD/177/3/88	09-12-89
5.	PAD/177/1/89	09-12-89
6.	PAD/177	05-03-94
7.	PAD/177	21-07-95
8.	PAD/177	17-08-96
9.	PAD/177	19-11-96
10.	PAD/177	12-05-99

B. SWAMINATHAN,
General Manager

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cant, the September 1999

No. Wakf/42(2)/98/Vol. III—I.F.U Siddiqui, Administrator, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. in exercise of the Powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1995, hereby delegate the following powers to Syed Shahid Ali, Chief Executive Officer, punjab Wakf Board with effect from 10th August, 1999 :

1. To examine the report of Wakf Commissioner and publish in the official Gazette the list of Wakfs as per Wakf Rules, 1964 framed under the Wakf Act.

2. To sue and defend cases on behalf of the Board in Civil Criminal and Revenue Courts and before any authority by engaging advocates for the same and to take proper legal steps concerning Wakf properties.

3. To institute and defend writ petitions, appeals, revisions review and execute applications in all courts or before any authority.

4. To call for such return, statistics, aoccunts and other information from the Mutawallis in respect of Wakf properties as may be found necessary or as the Board may from time to time require.

5. To exercise powers and perform the functions of the Board to issue copies of the same on payment of the Wakf in disputed cases and in the maintenance of the Register of Wakf under Section of the Wakf Act, 1995.

6. To cause the registration of Wakf and to amend the Register of Wakfs under Section of the Wakf Act, 1995.

7. (a) To examine and sanction the Budget of Mutawalli whose income do not exceed Rs. 5,000/- per annum in each case.

(b) To pass order on audit report under Section 48(1) of the Wakf Act, 1995 of the Accounts of Wakfs whose income do not exceed Rs. 5,000/- per annum.

8. To convey the formal consent of the Board to any person or authority to institute a suit, to obtain any of the relief referred to in section 83 of the Wakf Act, 1995.

9. To deposit and withdraw the amounts required to be deposited or withdrawn according to law in respect of suits or proceedings instituted or defended by the Board.

10. To take necessary steps for the proper recording of Wakf properties by the authorities appointed by the Government for settlement and consolidation of holdings.

11. Subject to Regulations framed under Section 68 of the Wakf Act, 1954 read with section 110 and 112(2) of Wakf Act, 1995, to carry out the day to day administration of the office of the Wakf Board and to exercise the following powers :—

(a) Approve tour programmes and sanction TA claims of all the employees of the Board.

(b) Grant leave of all kinds to all the employees of the Board and sanction leave salary.

(c) Fix and release salaries of all the employees in the sandtioned Pay Scales.

(d) Sanction annual increments to the employees of the Board expept Class-I & Class-II employees.

(e) Sanction upto Rs. 5,000/- at a time on cost of petrol/Diesel, maintenance/servicing, Insurance and Registration of vehicle subject to availability of funds in the Budget.

(f) Sanction upto Rs. 2,500/- on postage, furniture, books and newspapers, printing & stationery subject to availability of funds in the budget.

(g) Sanction upto Rs. 5,000/- in any one case of maintenance of Wakf properties under Board's Management including mosques viz. construction, white washing, repair and renovation subject to availability of funds in the Budget.

(h) Sanction upto Rs. 1,000/- on non-recurring pontingent expenses subject to availability of funds in the budget.

(i) Sanction payment of Govt. dues, 7% contribution of the Punjab Wakf Board, printing charges of Notifications in Govt. Gazette, electricity and telephone bills.

(j) Accept quotations and tenders in respect of the total estimated value of articles work does not exceed Rs. 25,000/- and issue supply/work order.

(k) Issue supply/work order in case of purchase of articles where valuation of work does not exceed Rs. 25,000/-.

(l) Sanction charity upto Rs. 500/- in genuine cases subject to availability of funds in the budget.

(m) Sanction refunds (except lease money, earnest money and security of building contrator) upto Rs. 3,000/- in each case.

12. To sanction prescribed court fees and counsel fee upto Rs. 2,500/- in each case.

13. To sanction legal expenditure upto Rs. 2,500/- in each case.

14. To get the accounts of the Board as well as of those Wakfs which are under the direct management of the Board audited at the end of every financial year as laid down in the Wakf Act, 1995 and submit the audit report to the Administrator.

15. To order auction or sanction sales where the original purchase value of movable property or article does not exceed Rs. 10,000/—

16. To receive all the amount of compensation awarded by any authority in respect of any Wakf property.

17. To make orders of Transfers/Postings of Class IV employees,

18. To main ACRs of the employees upto the rank of Section Officer/Estate Officers and to submit to the Administrator at the end of financial year.

Wak/45/Gen/Gazette/(506)/99—In exercise of the power conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1995 which are accessible by me under the delegated power by the Administrator, Punjab Wakf Board under Section 40 of the Wakf Act, 1995 properties are hereby declared as Sunni Wakf.

Sr. No.	Name of Wakf	Distt. Tehsil	Village	Kh. No.	Area	Value in Rs.	Nature and object of Wakf	How the Wakf is Administoral	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Graveyard	Rohtak	Hasan garh		B — B			Under the Religious-Management of Punjab Wakf Board Ambala Cantt.	Sunni Wakf
				8587	1—16	3000.00			
				8779	9—15	15000.00			
				8794	16—00	100000.00	Do.		
				8799	06—00	120000.00			
				9826	10—18	300000.00	Do.		
2.	Khanqah	Nawanshaher	Barnala Kalan (135)	North South East West	76-house of Ratan Singh 76-0 street 61-0 street 61-0 street	150,000.00	Do.	Do.	
3.	Do.	Hissar	Balawas	134	13-12	100000.00	Do.	Do.	
4.	Do.	Rewari	Rewari	289 min 289 min	1-8 2-9	10,000.00 20,000.00	Do. Do.	Do. Do.	
5.	Masjid Taur	Jalandhar Phillaur	Apra (181)	Kh. No. 84 min North— East— East— West— South—	 Bazar Road Road to Mandi Private Land Masjid	100000.00	Do.	Do.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Graveyard	Amritsar	Qilajiwan Singh	61	K—M 2—6	100000.00	Religious	Under the management of punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Sunni Wakf
7.	Khanqah	Amritsar	Kot Mohamad Khon(314)	29/9/2 10/2 11/2 12/1 12/2 19 20/1 130 131 132 133	1—6 0—16 2—18 0—8 1—16 6—3 3—7 1—10 3—05 1—7 0—16	12,50,000.00	Do.	Do.	
					23—12				
8.	Graveyard	Amritsar Pati	Bahmani-wala	69 70 34/26	8—1 1—4 11—14	200000.00 5000.00 300000.00			
9.	Graveyard	Amritsar Ajanala	Kakar	70 71 min	K3-8M K0—16M	20,000.00	Do.	Do.	
10.	Do.	Karnal	Kailash	65 66 67	4—12 4—02 0—19	100000.00	Do.	Do.	Do.
11.	Mazar	Gurgaon	Nizam Pur	26/3 4/1	7—4 4—3	3,00000.00	Do.	Do.	Do.
12.	Graveyard	Ludhiana	Payal	509/1 1372 1498 1520 1521	1—18 6—5 5—14 4—13 5—13	2,00,000.00 6,00,000.00 5,00,000.00 4,00,000.00 5,00,000.00	Do. Do, Do. Do. Do.	Under the management of Punjab Wakf Board	Do.
		Ludhiana Khanna	Malikpur (208)	25 20/2/2 21 1/2	2—19	2,00,000.00	Do.	Do.	Do.
13.	Do.	Amritsar Trantaran	Gohal-warh	930	20—0	6,50,000.00	Do.	Do.	Do.
14.	Do.	Ropar	Murinda	791	3—0	2,00,000.00	Do.	Do.	Do.

Note :

1. Sr. No. 1 Graveyard according to Jamabandi, 1879
2. Sr. No. 2 Khanqah according to Jamabandi, 1994-95
3. Sr. No. 3 Graveyard according to Jamabandi, 1996-97
4. Sr. No. 4 Graveyard according to Jamabandi, 1965-66
5. Sr. No. 5 Mosque per Register Mabant and Taur
6. Sr. No. 6 Graveyard according to the Khasra Girdawari 1996-97
7. Sr. No. 7 Khanqah according to the Jamabandi 1968-69 and Proceeding committe consolidation
8. Sr. No. 8 Graveyard accordingly to the Khasra Girdawari 1996-97
9. Sr. No. 9 Graveyard accordingly to the Jamabandi year 1994-95
10. Sr. No. 10 Graveyard accordingly to the Jamabandi year 1973-74
11. Sr. No. 11 Mazar accordingly to the Jamabandi year 1994-95
12. Sr. No 12 Graveyard accordingly to the Jamabandi year 1959-60 and Panchayat Register
13. Sr. No. 13 Graveyard accordingly to the Jamabandi year 1997-98
14. Sr. No. 14 Graveyard accordingly to the Jamabandi year 1951

(SYED SHAHID ALI)
Chief Executive Officer

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th September, 1999

No. U-16/53/98-Med.II (A.P.).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) date 23-5-1983, I hereby authorise Dr. M. Shyam Sunder Roa to function as Medical authority for Hyderabad Centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 17-1-99 to 16-1-2000 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (SEZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH,
Medical Commissioner

No. N-15/13/12/1/95-P&D—In Pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees, State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October, 1999 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely

"Areas comprising the revenue villages Kanota, Dayarampura, Mangarh Khokhawala, Vijaymukundpura ailas Hirawala, Kunthana—Kalan & Kuntharakhurd in Tehsil Bassi, Naila in Tehsil Jamua Ramgarh, Lakhesra in Tehsil Sanganer and Vijaipura and Bagrana in Tehsil and District Jaipur"

G.L. Kapoor
Director (P & D)

The 29th September, 1999

AMENDMENT

No. A-12(11)-1/94-DM(HQ).—The words "Senior Operation Technician with 5 years regular service in the Grade" appearig in Column 13 under sub-head promoiton; published in Part-III Section 4 of Gazette of India No. 32 dated 7th August, 1999 vide Notification No. A-12(11)-1/94-DM(HQ) dated 07-08-1999 may be substituted by the words "Senior Operation Theatre Technician/Senior CSSD/CSR Technician with 5 years regular service in the Grade".

A. M. NIMBALKAR
Director General

4—279 GI/99

REGIONAL OFFICE, ESI CORPORATION, PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR 19-A,

Chandigarh, the 16th September 1999

No. 19-V-34/13/1/95/Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950, the Chairman, Regional Board, J & K has constituted the local Committee consisting of the following members for Kathua area (where Chapter IV & V of the E.S.I. Act, 1948 are already inforce) with effect from the date of notification,

Chairman

Under Regulation 10-A (1) (a)

1. Labour Commissioenr J & K/
   Dy. Labour Commissioner ESI, J & K.

2. Members

Under Regulation 10-A (1) (b)

2. Dy. Secretary to Govt of J & K,
   Labour Department

Under Regulation 10-A (1) (c)

3. Medical Officer Incharge,
   ESI Dispensary, Kathua,
   Under Regulation 10-A (1) (d)

4. Sh. D. R. Bhatia
   Bharat Small arms,
   Kathua.

5. Sh. K. C. Sharma,
   Senior Vice President,
   M/s. Chenab Textile Mills,
   Kathua.

Under Regulation 10-A (1) (e)

6. Sh. Ashraf Ahmed
   Chenab Textile Mills,
   Kathua.

7. Sh. Uttam Chand,
   Chenab Textile Mills,
   Kathua.

8. Sh. Babu Singh,
   H. P. Gas Agency,
   Kathua.

Under Regulation 10-A (1) (f)

9. The Managers, Local Office,
   ESI Corporation, Pathankot,

Member Secretary
By Order
B. C. BHARDWAJ
Regional Director

No. 19.V.34/13/1/95/Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950, the Chairman, Regional Board, J & K has constibited the Local Committee consisting of the following members for Jammu area (where Chapter IV & V of the ESI Act, 1948 are already in force) with effect from the date of Notification.

Chairman

1. Under Regulation 10-A (1) (a)
Labour Commissioner J & K/
Dy. Labour Commissioner,
J & K

Members

2. Under Regulation 10-A (1) (b)

Dy. Secretary to Govt of J & K
(Labour Department)

3. Under Regulation 10-A (I) (c)

(i) Medical Officer Incharge,
ESI Dispensary, Bakshi Nagar,
Jammu.

(ii) Medical Officer Incharge,
ESI Dispensary, Gigiane,
Jammu.

(iii) Medical Officer Incharge,
ESI Dispensary, Bari Brahmana,
Jammu.

4. Under Regulation 10-A(1)(d)
Sh. Shanti Kumar Ahal,
Manager, M/s R.B. Jodhamal & company Ltd.
Canal Road, Jammu-180001.

5. Sh. Bhuwan Kumar Gupta,
Manager, M/s K.C. plywood Industries,
Akhnoor Road, Muthi, Jammu.

6. Sh. Kuldeep Dogra,
President Small Scale Industries,
19, Industrial Estate, Digiana,
Jammu.

7. Sh. Surinder pal Singh,
Director Bari Brahaman Industries,
Association, M/s Nayyar Elecrodes Ltd.,
Bari Brahmana, Jammu-181133
Under Regulation 10-A (1) (e)

8. Sh. Karn Singh, Secretary
Bhilwara Workers' Union,
Bari Brahaman, Jammu.

9. Sh. Masood Ahmed Andrabi,
President, State Central Labour Union.

10. Sh. Rabinder Singh,
President, INTUC.

11. Sh. Mohammed Yousuf Bhat,
AITUC
Under Regulation 10-A (1) (f)

12. The Manager, Member Secy
Local Office,
ESI Dispensary,
Jammu.

B. C. BHARDWAJ
Regional Director

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Dehli-110066, the 14th September 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4271.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Said Act).

And Whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefit under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE II

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Hindustan Motors Ltd. P. O. Hindmotors Distt Hooghly. West Bengal	WB/370	2/1959/DLI/Exem/ 89/Part.I dt. 8-7-97	16-12-98	17-12-98 to 16-12-2001	2/873/83/DLI
2.	M/s Bijoli Cinema 35, S. P. Mukheree Road Calcutta-700025	WB/3673	Do.	31-10-97	1-11-97 to 31-10-2000	2/2335/89/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduce in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 15th September 1999

No. 2/1959/DLI/Exem.89/Pt. I/4279.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated is attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-1

Sl. No.	Name & Address of the Establishmeht	Code No.	No. of & Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1	M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. Fibres Unit, Post Box No. 18 Kosamba, 394120, Distt. Surat (Gujarat)	GJ/5238/B	2/1/959/DLI/Exem/ 89 Pt. I/36013 dated 2-1-99	31-5-99	1-6-99 to 31-5-2002	2/5326/93/DLI
2.	M/s. Shree Rajkot Lodhika Sahakari Kharid Vechan Sagh Ltd., Sthipar Triveni, 29/38 Karanpara, Behind Bus Station Rajkot-360001 (India)	GJ/5673	Do. dated 9-4-99	30-9-97	1-10-97 to 30-9-2000	2/4506/92/DLI
3	M/s Castomate Pvt. Ltd., Mitesh Mavdi Plot, Rajkot-360004	GJ/7598	Do dated 22-11-1997	30-5-98	1-6-98 to 30-5-2001	2/3783/91/DLI
4	M/s Schut Carbon Electrodes Pvt. Ltd. 43/1, GIDC Estate Kalol-382721	GJ/11331	Do dated 13-5-1991	31-1-92	1-2-92 to 31-1-95 1-2-1995 to 31-1-98 1-2-1998 to 31-1-2001	2/3434/91/DLI
5	M/s Diamohd Crucible Pvt. Ltd, 212/C, GIDC Estate, Mehsaha (Gujarat)	GJ/14744/A	Do dated 26-10-97	31-5-998	1-6-98 to 31-5-2001	2/3325/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4290.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's File No.
01.	M/s. Welder Enterprises, Dhebarbhai Road, (South) Rajkot-360002	Gj/11353	01-07-1997 to 30-06-2000	4 (146) 99/DLI
02.	M/s. Ex-Protacta 305/306 GIDC Vithal Udyog Nagar, V. V. Nagar-388121.	Gj/12333	01-03-1996 to 28-02-1999	4 (151) 99/DLI
03.	M/s. Jamnagar Rajkot Gramin Bank, Milan Chamber, Khodiyar Colony Jamnagar. (along with its branches).	Gj/11941	01-09-1997 to 31-08-2000	4 (147) 99/DLI
04.	M/s. Vilco Laboratories Pvt. Ltd., 290 Chitra, Bhavnagar-364004.	Gj/14544	01-08-1997 to 31-07-2000	4 (148) 99/DLI
05.	M/s. John Oil and Gas Ltd., 220/GIDC Estate, Mehsana-384002 (NG)	Gj/16676-B	01-02-1998 to 31-01-2001	4 (149) 99/DLI
06.	M/s. Vandna Tex Dyes, 2002/3, GIDC, Ankeeshwar-393002.	Gj/18625	01-04-1999 to 31-03-2002	4 (150) 99/DLI
07.	M/s. Ex-Candaca 420, IVth Phase, GIDC Vithal Udyog, Nagar, V. V. Nagar, 388121 Distt. Kaira, Gujarat.	Gj/16719	01-03-1996 to 28-02-1999	4 (152) 99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/Legal heir (s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominee (s)/legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Prvoident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4303.—WHEREAS the Employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's File No.
01.	M/s. Shri Prakash Industries, Enikapadu P.O. Via Ramavar Apadu-521108.	AP/16512	01-08-1997 to 31-07-2000	1—97—99/EDLI
02.	M/s. Vijnana Vihara English Medium School, Satya Narayanapuram, Vijayawada.	AP/16554	01-03-1997 to 29-02-2000	1—101—99/EDLI
03.	M/s. Natco Pharma Ltd., Natco House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500032.	AP/16328	1-12-87 to 30-11-90 01-12-1990 to 30-11-1993 01-12-1993 to 30-11-1996 01-12-1996 to 30-11-1999	1—100—99/EDLI
04.	M/s. Balaji Hatcheries, 4-2028, Durga Nagar, Greanpet Chottoor Andhra Pradesh-517002	AP/11617	01-10-1995 to 30-09-1998 01-10-1998 to 3-09-2001	1—99—99/EDLI
05.	M/s. Sadleni Chowdaraiah Residential Public School, Chilakaluripet Guntur (A. P.)	AP/16609	01-03-1995 to 28-02-1998 01-03-1998 to 28-02-2001	1—98-99/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees that the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be laible to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/4314.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra from the operation of the said Scheme for a of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P. F. C's. File No.
01.	M/s. Citibank Investment Management Services Ltd., Orient House, Adi Marzban Road, Mumbai 38.	MH/40208	01-03-1998 to 28-02-2001	9/58/98/DLI
02.	M/s. Reliance Petroleum Ltd., RPL House, 3rd Floor, Walchand Hirachand Marg, Mumbai 400001.	MH/41261	1-8-96 to 31-07-1999	9/45/98/DLI
03.	M/s. ACC Nichon Casting Ltd., A 1/2, Butibori Industrial Area, Vill Raikhari, MIDC Butibori, Distt. Nagpur-441108.	MH/61875	01-07-1997 to 30-06-2000	9/57/98/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2 (A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premiums the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

The 17th September 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/4323.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (*hereinafter referred to as the said establishment*) have applied for exemption under sub-section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(B) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F.C.'s. File No.
1	2	3	4	5
01.	M/s. Precision Seal Mfg. Ltd., Block S, Plot No. 156, Behind Century Enka Ltd.,, MIDC, Bhosari, Pune-411026	MH/22103-A	01-12-1997 to 30-11-2000	S.9(60)99/DLI

1	2	3	4	5
02.	M/s. Intervalve (India) Ltd., 212/23, Hadapsar Pune-411028	MH/30940	01-08-1998 to 31-07-2001	9(61)99/DLI
03.	M/s ELO Matic (India) Ltd., 2961, A/1/5, St. Patricks Town, Hedapsar, Pune 411013	MH/30943	01-08-1998 to 31-07-2001	9(62)99/DLI
04.	M/s. Mercedes Benz India Ltd., Sector 15 A, Chikhali Village Pimpri, Pune-411018	MH/32162	01-04-1999 to 31-03-2002	9(63)99/DLI
05.	M/s. Jaldoot Material Handling Pvt. Ltd., J. 83, MIDC, Bhosari, Pune-411026	MH/31096	01-08-1997 to 31-07-2000	9(64)99/DLI
06.	M/s Vidarbha Iron and Steel Corp. Ltd. 46 A & B, MIDC Area, Hinga Road, Nagpur-440028	MH/16564	01-07-1995 to 30-06-1998 01-07-1998 to 30-06-2001	9(65)99/DLI
07.	M/s. Ashutosh Casting Ltd., F/8, MIDC Industrial Area, Hing Road, Nagpur-440016.	MH/24523	01-07-1998 to 30-06-2001	9(66)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s), legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the Employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4336.—Whereas the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madras from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Nome & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's. File No.
01.	M/s. Vidya Mandir (Adyar) Secondary School, 4th Main Road, Gandhi Nagar, Chennai-600020.	TN/23214	01-03-1991 to 29-02-1994 01-03-1994 to 28-02-1997	14(123)95/DLI
02.	M/s. White House Process (Pvt) Ltd., No. 1096, E. V. R. Periyar Road, Periamet, Chennai-600003	TN/30890	01-11-1998 to 31-10-2001	14(640))99/DLI
03.	M/s. Tanmay Computer and Software Pvt. Ltd., 942, Poonamali Highlie Road, Chennai-84.	TN/31079	01-06-1994 to 31-05-1997 01-06-1997 to 31-05-2000	14(610)99/DLI
04.	M/s. Fine Point Industries (Pvt.) Ltd., 31/2-A, Part Kazhipattur Village, Padur (P. O.) Kanchipuram Distt.-603103.	TN/31487	01-07-1998 to 30-06-2001	16(641)99/DLI
05.	M/s. Swift/Spinning (Madras) Pvt. Ltd., Room No. 4 & 5, S. M. Plaza, No. 45, Armenian Street, Chennai-600001	TN/31897	01-07-1998 to 30-06-2001	16(642)99/DLI
06.	M/s. Bakke Durr and Wabag Technologies Ltd., No. 6, Murrays Gate Road, Alwerpet, Chennai-600018.	TN/31934	01-08-1997 to 31-07-2000	16(643)99/DLI
07.	M/s. Chrompet Saswatha Nidhi Ltd., Rama Krishna Street, Raghava Nagar, Chrompet, Chennai-600044	TN/31993	01-08-1998 to 31-07-2001	16(644)99/DLI
08.	M/s White House Cotton Industries Ltd., S. No. 1, Kallambakkam Village, Vedathagal Road, Maduranthakkam, Chennai MGR Distt.	TN/39151	01-01-1999 to 31-12-2001	16(645)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4349.—Whereas the Employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II Annexed hereto. The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in Schedule-I against their names.

SCHEDULE-II

S No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Century Rayon, P. B No. 22, Shahad, Thane-421103	MH/1616	S-35014/14/87/SS-II dated 29-1-87	28-1-89	29-1-89 to 28-1-1992 29-1-1992 to 28-1-1995 29-1-1995 to 28-1-98 29-1-98 to 28-1-2001	2/36/76/DLI
2.	M/s. Cable Corporation of India, Lakshmi Building, 6, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001.	MH/5507	2/1959/DLI/Exem/ 89/Pt I dt.19-1-93	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99 1-3-99 to 28-2 2002	2/813/MH/83/ DLI
3.	M/s Hawains Cooker Ltd., Maker Tower F-101, Cuffe Parade, Mumbai-400005	MH/6333	dt. 11-6-99	28-2-99	1-3-99 to 28-2-2002	2/889/83/DLI
4.	M/s Carbon Everflow Ltd, Bakhatwar, 2nd Floor, Nyriman Point, Mumbai-400021	MH/19795	dt. 11-7-91	23-12-92	24-12-92 to 23-12-95 24-12-1995 to 23-12-1998 24-12-1998 to 23-12-2001	2/764/82/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

The 20th September 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4359.—Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-1

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Hindustan Gas and Industries Ltd., 22, New Tangrea Road, Calcutta-700016.	WB/1914, 1627, 11359	1-3-92 to 28-2-95 1-3-95 to 28-2-98 1-3-98 to 28-2-2001	16(77)99/DLI
2.	M/s. IBP Co. Ltd., IBP House, 34 A, Nirmal Chandra Street, Calcutta-700013.	WB/3574	1-2-99 to 31-1-2002 1-9-98 to	16(78)99/DLI
3.	M/s. West Bengal State Minor Irrigation Corn. Ltd., 5, Mastaque Ahmed Street, Calcutta-700016.	WB/14902	31-8-2001	16(79)99/DLI
4.	M/s. Kothleen Confectioners, 12, Free School Street, Calcutta-700016.	WB/22650	1-11-98 to 31-10-2001	16(80)99/DLI

1	2	3	4	5
5.	M/s. The Princess 12 Free School Street, Calcutta-700016	WB/22722	1-11-98 to 31-10-2001	16(81)99/DLI
6.	M/s. Kautleen Caterers 24. K. Dutta Road Calcutta-700028	WB/24420	1-11-98 to 31-10-2001	16(82)99/DLI
7.	M/s. Fareinni Exports Pvt. Ltd., 37, Shakespeare Sarain, Calcutta-700017	WB/27429	1-3-99 to 28.2.2002	16(83)99/DLI
8.	M/s. Cenwey Extrustion Ltd., 113, Park Street, N.Block, 2nd Floor, Calcutta-700016	WB/28271	1-1-97 to 31-12-99	16(84)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-secion 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exmption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employee.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/644/82/DLI/4371/Whereas M/s. Ahemdabad Manufacturing & Calico printing Co. Ltd., Outside Jamalpur Gate, Ahemdabad. Code No. GJ/279 was granted exemption/ extension of exemption under section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the master policy upto 31-7-94 and reverted back to implementing E.D.L.I. Scheme.

In view of the above, CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER has cancelled the above said exemption w.c.f. 1-8-94.

A.K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

F. No. MCI- 4(41)/98-Med./

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Corrigendum

Regulatin No.	Page No.	Column No.	Line No.	
1. (3)	2901	IInd	23	for "and" read "or"
3	2902	Ist	37	for "to" read "for"
Part III (3)(f)	2903	1st	33	add "soil" before the word "conditions"
4	2903	IInd	36	for the heading "REGISTERATION" read "REGISTRATION"
7(3)	2904	Ist	19	for "as" read "has"
FORM-2 last para	2908	IInd	31	for the words "the State Govt. shall take back the resporsibility of the students read "the State Govt. shall take over the reponsibility of the students".
FORM-3	2908	IInd	44	for the word "principle" read "principal"
SCHEDULE	2910	Ist	23-24	for "2. Receipt of Applications by the from Central Govt." read "2. Receipt of applications by the Medical Council of India from Central Govt."

(DR. M. SACHDEVA
Secretary
Medical Council of India.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1999